15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सत्यमेव जयते

भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

क्रमांकः एफ(1)/1(67) आ.उ./पीएडी.अनु./नियुक्ति/हा.क.निरी./2020 दिनांकः 05.08.2020

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14 (32) (4) RSSB/अर्थना/उ.वि/पात्रता जॉच/2019/3064 दिनांक 26.06.20 द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत हाथकरघा निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में हाथकरघा निरीक्षक के पद के लिए पात्र पाये गये एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अभिशंषा/अभिस्तावना के आधार पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में हाथकरघा निरीक्षक के रिक्त पदों के प्रति उपस्थिति देने की संगत तिथी से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथी पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथी से प्रभावी होगी :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नम्बर	श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री आनन्द प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री शिवनाथ मिश्रा,प्लॉट नं. 147, डी.एस.साईस.एकेडमी के पास नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर–322201	09.08.1988	100374	GEN EWS	जिला उद्योग केन्द्र, सवाईमाधोपुर
2.	श्री किस्तुर चन्द्र फुलवारिया पुत्र श्री मांगी लाल रेगर, मु0 पो0 कांगनी, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा –311806	11.12.1992	100169	SC	जिला उद्योग केन्द्र,पाली
3.	श्री भाविन पंचाल पुत्र श्री रमेश पंचाल, वार्ड न. 45,आजाद चौक, लुहारवाड़ा, बांसवाडा–327001	21.04.1996	100077	OBC	जिला उद्योग केन्द्र,भीलवाड़ा
4.	श्री महेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजावत, ग्राम पुरा गुलाबसिंह, पो.दतूली, तह.बौंली, सवाईमाधोपुर–322030	01.01.1989	100055	GEN	जिला उद्योग केन्द्र,कोटा
5.	श्री नितेश कुमार जांगिड़ पुत्र श्री कन्हैया लाल जांगिड, ग्राम बीरधोल, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा–311603	07.06.1990	100170	OBC	कार्या. आयुक्त,उद्योग विभाग, जयपुर
6.	श्रीमती ममता कुमारी गर्ग पुत्री सन्तोष गर्ग, प्लॉट न0 45, शिवशक्ति नगर, सुमेर नगर के पास, इस्कॉन रोड़, मानसरोवर, जयपुर–302020	15.04.1993	100269	GEN	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर ग्रामीण

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

नियुक्ति की शर्ते :–

1. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 में वर्णित अनुसूची–IV के अनुसार नियत पारिश्रमिक रू. 18500/–प्रतिमाह देय होगा तथा परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज.राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. परिवीक्षा–प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर ही राज.सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे–मेट्रिक्स लेवल–8 के अनुसार हाथकरघा निरीक्षक का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही है जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
4. उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
5. यह नियुक्ति अस्थाई है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है।
6. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के हाथकरघा निरीक्षक होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
7. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
8. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं तो चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करने का विभाग को अधिकार होगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रस्तुत करते हैं तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(अर्चना सिंह)
आयुक्त, उद्योग

वेबसाईट– industries.rajasthan.gov.in, ई-मेल– indrajfo10@rajasthan.gov.in
EPABX- 0141-2227630, 2227727, 29, 31, 32, 33, 34

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

क्रमांकः एफ(1)/1(67) आ.उ./पीएडी.अनु./नियुक्ति/हा.क.निरी./2020 दिनांकः 05.08.2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री,राजस्थान,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
5. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (कार्यालयाध्यक्ष)/आहरण वितरण अधिकारी,मुख्यालय।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (कम्प्यूटर),मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त फंक्शनल अधिकारी, मुख्यालय।
8. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ...(संबंधित)को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल शैक्षणिक योग्यता,आयु आदि संबंधित मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर एक स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थी का राज. कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का मूल आवेदन पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने की सूचना तत्काल आवश्यक रूप से मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित अभ्यर्थी।
10. रक्षित पत्रावली।

5/8/2020

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक,उद्योग
(प्रशासन)